

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना'

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन/हिंदी में अनूदित पुस्तकों को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना' संचालित कर रहा है।

इस योजना के तहत हिंदी में मूल रूप से लिखित पुस्तकों के लिए 1,00,000/- रु. (एक लाख रुपए) का प्रथम, 60,000/- रु. (साठ हजार रुपए) का द्वितीय तथा 40,000/- रु. (चालीस हजार रुपए) का तृतीय पुरस्कार दिया जाता है।

मौलिक पुस्तक लेखन को वरीयता दी जाएगी। यदि हिंदी में अनूदित किसी पुस्तक को पुरस्कार के योग्य पाया गया तो पुरस्कार राशि मौलिक पुस्तक लेखन हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि की आधी होगी।

इस योजना में सभी सरकारी अथवा गैर-सरकारी लेखक भाग ले सकते हैं। कैलेंडर वर्ष 2018 के पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत मौलिक पुस्तकों/हिंदी में अनूदित पुस्तकों को वर्ष 2014 से 2018 के बीच प्रकाशित होना चाहिए।

प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 दिसम्बर, 2019 है। प्रविष्टियां केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जाएंगी। इस बारे में कृपया विस्तृत जानकारी व निर्धारित प्रपत्र के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.mnre.gov.in देखें।

Ministry of New and Renewable Energy

"PRAKRITIK URJA PURASKAR YOJNA"

Ministry of New and Renewable Energy, Government of India is implementing 'Prakritik Urja Puraskar Yojna' to encourage original book-writing in Hindi/translation of books in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

Under the scheme, there is a provision to award a first prize of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh), second prize of Rs. 60,000/- (Rs. Sixty Thousand) and a third prize of Rs. 40,000/- (Rs. Forty Thousand) for the books originally written in Hindi.

Preference will be given to the books originally written in Hindi. If any translated book is selected for award, in that case prize money will be half of the amount given to original books.

All authors, whether Government employees or Non-Governmental persons, can participate in the scheme. Entries are invited for the award for the calendar year 2018. Under the Scheme, books originally written in Hindi or translated into Hindi should be published from the year 2014 to 2018.

The last date of receipt of entries is December 15th, 2019. Entries will be accepted in prescribed proforma only. For prescribed proforma and further details, please visit this Ministry's website www.mnre.gov.in

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

विषय: ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं अनूदित पुस्तकों को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना'- एक संक्षिप्त विवरण।

---*---

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना' के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर हिन्दी में लिखी गई/अनूदित पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है :-

1. सौर तापीय ऊर्जा
2. पवन ऊर्जा
3. सौर प्रकाशवोल्टीय
4. बायोमास
5. बायोगैस
6. बायोऊर्जा
7. उन्नत प्रकार के चूल्हे
8. ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत

2. इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाते हैं:-*

(क) हिन्दी में मूल रूप से लिखी गई पुस्तकों के लिए -

प्रथम पुरस्कार	:	1,00,000/- रु.
द्वितीय पुरस्कार	:	60,000/- रु.
तृतीय पुरस्कार	:	40,000/- रु.

(ख) हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए -

प्रथम पुरस्कार	:	50,000/- रु.
द्वितीय पुरस्कार	:	30,000/- रु.
तृतीय पुरस्कार	:	20,000/- रु.

(*मौलिक और अनूदित पुस्तकों के लिए अलग-अलग पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं और पुरस्कारों की संख्या केवल 3 है।)

3. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रता :-

- (1) सभी वैज्ञानिक विभागों में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों सहित सभी भारतीय नागरिक इस स्कीम में भाग ले सकेंगे।
- (2) इस योजना में प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपियों दोनों पर विचार किया जाएगा।
- (3) पाठ्यपुस्तकों, अर्थात् ऐसी पुस्तकें जिन्हें विशिष्ट रूप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है तथा बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों को इस प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (4) जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर कापीराइट बना रहेगा।
- (5) जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले पेश किया जा चुका होगा उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। लेखकों को आवेदन पत्र के साथ अपने प्रकाशित ग्रंथ अतवा पाण्डुलिपि की साफ टाइप की गई प्रतियाँ (न्यूनतम 6 प्रतियाँ) प्रस्तुत करनी होंगी। साफ टाइप न की गई प्रतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (6) इस विभाग को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियमों का निर्माण करने का एकमात्र अधिकार होगा।
- (7) जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उनको पुरस्कार के वर्ष से पिछले पांच वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए।
- (8) पाण्डुलिपियों को इस प्रतियोगिता योजना के लिए उसी सूरत में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा यदि उनके साथ लेखक की यह लिखित वचनबद्धता आती है कि अगर उसकी पाण्डुलिपि को पुरस्कार के लिए चुन लिया गया तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाने की सूचना मिलने के 6 मास के भीतर इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि पुस्तक के प्रकाशन के बाद दी जाएगी।
- (9) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका होगा उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (10) हरेक लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।

4. सामान्य शर्तें :-

- (1) यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा।
- (2) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक/पांडुलिपि को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है।
- (3) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- (4) यह पुरस्कार हर कैलेंडर वर्ष में दिया जाएगा और यदि किसी कैलेंडर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।
- (5) मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

5. मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है :-

- (1) जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई हो,
- (2) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो,
- (3) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो,
- (4) जिसे प्रतियोगी ने मूल रूप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में न लिखा हो,
- (5) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में लिखा हो,

- (6) जो लेखक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया विस्तृत/संक्षिप्त रूप अथवा सार न हो जिसे लेखक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा तथा/अथवा प्रकाशित कराया हो, तथा
- (7) जो किसी सरकारी ठेके के अंतर्गत अथवा किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो।

6. अनूदित पुस्तकें :-

इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित विषय पर अच्छे स्तर की अंग्रेजी या दूसरी भाषा में लिखी गई पुस्तकों का उच्च स्तर का अनुवाद करके हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों को भी शामिल किया जाता है लेकिन पुरस्कार की राशि आधी हो जाती है।

7. पुस्तक का आकार :-

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों में प्रत्येक में कम से कम 100 पृष्ठ अवश्य हों।

8. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार है।

ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन की
'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना' में भाग लेने के लिए प्रवेश-पत्र

1. (क) लेखक का नाम व पूरा पता
.....
(ख) लेखक का वर्तमान व्यवसाय
.....
2. लेखक की शैक्षिक योग्यता
3. (क) पुस्तक का शीर्षक
- (ख) पुस्तक की विषय वस्तु
(योजना विवरण का पैरा 1 देखें)
4. लेखक द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों के नाम
.....
5. लेखक की राष्ट्रीयता
6. प्रकाशक का पूरा नाम व पता
.....
7. पुस्तक किस वर्ष में लिखी/प्रकाशित हुई
8. क्या पुस्तक को भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र की किसी प्रतियोगिता या किसी अन्य संस्थान के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है
यदि हां तो इस संबंध में पूर्ण विवरण दें
.....
9. (i) क्या यह पुस्तक किसी अन्य भाषा की किसी पुस्तक का अनुवाद है? यदि हां तो मूल पुस्तक और उसके लेखक का नाम
(ii) क्या मूल पुस्तक के लेखक/प्रकाशक से इसका अनुवाद करने की अनुमति ले ली गई है (कृपया अनुमति पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. क्या लेखक ने पुस्तक को मूल रूप से हिन्दी में लिखा है?
11. क्या पुस्तक का कोई सह-लेखक है? यदि हां, तो उसका नाम व पता
.....
.....
12. क्या पुस्तक का स्वत्वाधिकार (कॉपीराइट) स्वयं लेखक का है?
13. यदि नहीं, तो क्या स्वत्वाधिकारी की अनुमति ले ली गई है?
(कॉपीराइट/अनुमति पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

घोषणा-पत्र

में एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि -

- (क) मैंने पुरस्कार योजना के नियमों को पढ लिया है और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ।
- (ख) यह पुस्तक मूलतः मेरे द्वारा लिखी गई है और यह किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।
- (ग) मैं भारत का नागरिक हूँ।
- (घ) प्रेषित ग्रंथ का मैं ही एकमात्र रचनाकार हूँ/नहीं हूँ और उसका/उसके कोई सह-लेखक नहीं हूँ/ (संख्या) सह-लेखक हैं जिनके साथ मैं संयुक्त आवेदन भेज रहा हूँ।
- (ङ) प्रेषित ग्रंथ/ लेख पर मेरा ही/ अन्य का स्वत्वाधिकार है तथा इस रचना को इस वर्ष के पुरस्कारों के विचारार्थ भेजने के लिए मैंने स्वत्वाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली है जो आवेदन के साथ संलग्न कर दी गई है (जो अंश लागू न हो उसे काट दें)।
- (च) यदि मेरी पांडुलिपि को पुरस्कार हेतु चुन लिया जाता है तो मैं 6 माह के भीतर अपनी पांडुलिपि को प्रकाशित करवा लूंगा/लूंगी। उक्त पांडुलिपि के 6 माह के भीतर प्रकाशित न होने की स्थिति में मैं पुरस्कार के लिए कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी। (केवल पांडुलिपि के लिए लागू)
- (छ) इस प्रपत्र में दिए गए विवरण बिल्कुल सही और सत्य हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर

दिनांक:

दूरभाष संख्या

मोबाइल नं.

टिप्पणी:-

1. यदि किसी पुस्तक के लेखक एक से अधिक व्यक्ति हों तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी इस प्रपत्र को अलग-अलग भरकर प्रस्तुत करेंगे।
2. यदि कोई अतिरिक्त सूचना देनी है तो उसे अलग पृष्ठ पर संलग्न करें।
